पाठ - 1
खाने पीने के अहकाम

الدرس الأول - هندي
أحكام الأطعمة

अल्लाह ने अपने बन्दों को पवित्र चीज़ों को खाने का हुक्म दिया है और अपवित्र चीज़ों को खाने से मना किया है। अल्लाह का इर्शाद है:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ [البقرة:١٧٢]

ऐ ईमान वालो! जो पवित्र चीज़ें हम ने तुम्हें दे रेखी हैं उन्हें खाओ पियो (सूरह अल बक़रा आयत 172)

खाने पीने की चीज़ों में असल हिल्लत है अर्थात कुछ चीज़ों को छोड़ कर जिनकी हुर्मत बयान कर दी गयी है बाक़ी चीज़ें हलाल हैं। अल्लाह ने मोमिनों के लिए पवित्र चीज़ों को हलाल किया है ताकि वे उन से लाभ उठाएं अतः गुनाह करके अल्लाह की नेमतों से लाभ उठाना जायज़ नहीं है।

अल्लाह ने खाने पीने की हराम चीज़ों को बयान कर दिया है। अल्लाह का इर्शाद है:

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:١١٩]

''अल्लाह ने उन सब जानवरों का विस्तार से ज़िक्र कर दिया है जिनको तुम पर हराम किया है मगर वे भी जब तुम को सख्त ज़रूरत पड़ जाए तो हलाल है। (सूरह अल अनआम आयत 119)

अल्लाह ने जिन चीज़ों को हराम नहीं क़रार दिया है वे हलाल हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इर्शाद है

إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَنَهَى عَنْ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَغَفَلَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا

अल्लाह ने कुछ चीज़ें फ़र्ज़ की हैं तुम उन्हें बर्बाद न करो। उसने कुछ सीमाएं निर्धारित कर दी हैं तुम उन सीमाओं से आगे न बढ़ो। उसने कुछ चीज़ों को हराम ठहरा दिया है तुम उनका उल्लंघन न करो, उसने तुम्हारी हमदर्दी में भूले बिना कुछ चीज़ों के बारे में खामोशी अख्तियार की है, तुम उनके बारे में खोद कुरेद न करो। (तबरानी)

हर वह चीज़ जिसका तअल्लुक़ खाने पीने और पहनने ओढ़ने से है और जिसकी हुरमत को अल्लाह ने और उसके रसूल ने स्पष्ट नहीं किया है उसे हराम ठहरा देना जायज़ नहीं है। इस सिलसिले में पूर्ण रूप से क़ायदा यह है कि खाने की वह चीज़ जो पवित्र हो और उसमें कोई हानि न हो वह जायज़ है और खाने की हर वह चीज़ जो अपवित्र हो हानिकारक हो जैसे मुर्दार, खून, शराब, बीड़ी सिगरेट, वह चीज़ जिसमें नापाकी मिल गयी हो, ये सब हराम हैं। इस लिए कि ये खबीस और हानिकारक चीजें हैं। हराम मुर्दार से मुराद वह जानवर है जो शरअी तौर पर ज़बह किए बिना मर गया हो, खून, से मुराद ज़बीह का बहने वाला खून है। वह खून जो ज़बह करने के बाद गोश्त के खलियों और रगों में बाक़ी रह जाए वह हलाल है।